

परियोजना का नाम:-जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक अन्तर्गत
भरवाकाटल से श्रीपुर मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 5.00
कि०मी०) के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.975 है० वन भूमि, का
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य
हेतु लो०नि०वि०, को प्रत्यावर्तन।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि- 1.3125
है० तथा सिविल सोयम वन भूमि- 1.6625 है० कुल 2.975 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के
आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास v के अन्तर्गत आता है"।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्रों का घनत्व 0.3 से 0.4 है। जिस हेतु एन०पी०वी०
की प्रति हैक्टर दर रू० 6,57,000=00(रू० छः लाख सत्तावन हजार) मात्र है। उक्त दर के
अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 19,54,575=00(रू० उन्नीस लाख चत्वन हजार
पॉच सौ पिचहत्तर मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया
जायेगा।


प्रभागीय वन अधिकारी
मसूरी वन विभाग, मसूरी